"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 332] रायपुर, बुधवार, दिनांक 31 जुलाई 2013—श्रावण 9, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2013

क्रमांक 6562/डी. 233/21-अ/प्रारू./छ.ग./13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26-07-2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 23 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ निजी नियोजन अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2013

विषय-सूची

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 23 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ निजी नियोजन अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2013

निजी नियोजन अभिकरण के विनियमन तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-एक
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी नियोजन अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2013 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य शासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे.

परिभाषाएं.

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अध्याय-तीन के अंतर्गत अपील की सुनवाई हेतु राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी;

(ख) "नियंत्रण प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, धारा 3 के अन्तर्गत नियुक्त नियंत्रण प्राधिकारी;

(ग) "घरेलू कर्मकार" से अभिप्रेत है, निजी नियोजन अभिकरण के माध्यम से किसी परिवार में घरेलू कार्य करने के लिये संबद्ध व्यक्ति;

(घ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(ङ) "अनुज्ञप्ति" से अभिप्रेत है, धारा 5 के अन्तर्गत प्रदान की गई अनुज्ञप्ति;

(च) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;

(छ) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(ज) "निजी नियोजन अभिकरण" से अभिप्रेत है, व्यक्ति या शासकीय अभिकरण से भिन्न व्यक्तियों का निकाय, विभाग या छत्तीसगढ़ के सीमा से परे घरेलू कर्मकार के रूप में किसी महिला को कार्य प्रदान करने के व्यवसाय से संबद्ध संगठन;

(झ) "महिला" से अभिप्रेत है, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 10 के अधीन यथा परिभाषित महिला.

(2) ऐसे शब्द एवं अभिव्यक्तियां जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है, उनका वही अर्थ होगा जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य तत्स्थानी विधि के अधीन परिभाषित है.

अध्याय-दो
नियंत्रण प्राधिकारी और अनुज्ञप्ति

नियंत्रण प्राधिकारी की नियुक्ति.

3. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में, किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा, जो अनुविभागीय दण्डाधिकारी की श्रेणी से निम्न का न हो; और

(ख) सीमाओं को परिभाषित करेगा, जिसके भीतर नियंत्रण प्राधिकारी, इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा.

व्यक्ति या निजी नियोजन अभिकरण बिना अनुज्ञप्ति के संचालित नहीं होंगे.

4. कोई व्यक्ति या निजी नियोजन अभिकरण, निजी नियोजन अभिकरण के कारोबार का संचालन या प्रारंभ तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन जारी अनुज्ञप्ति धारण नहीं रहता है:

परन्तु निजी नियोजन अभिकरण, जो इस अधिनियम की अधिसूचना के पूर्व अस्तित्व में आया है, इस अधिनियम की अधिसूचना के नब्बे दिवस के भीतर अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा.

अनुज्ञप्ति प्रदाय करने तथा नवीनीकरण के लिये आवेदन.

5. (1) धारा 4 के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु प्रत्येक आवेदन, ऐसे प्ररूप एवं रीति में, जैसा कि विहित किया जाये एवं पांच हजार रुपये के शुल्क एवं एक लाख रुपये की बैंक गारण्टी सहित प्रस्तुत किया जायेगा.

(2) नियंत्रण प्राधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन प्राप्त आवेदन के संबंध में, ऐसी जांच कर सकेगा तथा ऐसी जांच करने में, नियंत्रण प्राधिकारी, ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा, जैसी कि विहित की जाये.

(3) अनुज्ञप्ति, ऐसी शर्तों पर एवं ऐसे निर्बंधनों पर जारी की जायेगी, जैसा कि विहित किया जाये.

(4) इस धारा के अधीन जारी अनुज्ञप्ति, पांच वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी तथा, ऐसे शुल्क के भुगतान और ऐसी शर्तों पर नवीनीकृत की जा सकेगी, जैसे कि समय-समय पर विहित की जायेगी.

अनुज्ञप्ति का निरस्तीकरण एवं निलंबन.

6. (1) यदि नियंत्रण प्राधिकारी, इस संबंध में या अन्यथा उसको दिए गये निर्देश पर, संतुष्ट हो जाता है कि—

(क) धारा 4 के अधीन जारी अनुज्ञप्ति, दुर्व्यपदेशन या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अभिप्राप्त की गई है; या

(ख) यह कि अनुज्ञप्तिधारी, युक्तियुक्त कारण के बिना, शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहा है अथवा उसने इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, तो किसी अन्य शास्ति, जो अनुज्ञप्तिधारी इस अधिनियम के अधीन दायी होता, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियंत्रण प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा अथवा उसके द्वारा या उसकी ओर से धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत बैंक गारण्टी को समपहृत कर सकेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी को आदेश की सूचना देगा :

परंतु जहां नियंत्रण प्राधिकारी को लगता है कि विशेष कारणों से ऐसा करना आवश्यक है तो वह, आदेश द्वारा, ऐसे समपहरण के प्रतिसंहरण को लंबित रखते हुए, ऐसी कालावधि के लिए अनुज्ञप्ति को निलंबित रख सकेगा, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जाये तथा अनुज्ञप्तिधारी पर, ऐसा आदेश, रजिस्टर्ड डाक द्वारा तामिल कर सकेगा.

(2) किन्हीं नियमों, जो कि इस निमित्त बनाये जा सकते हैं, के अध्यधीन रहते हुए, नियंत्रण प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन जारी अनुज्ञप्ति में परिवर्तन या संशोधन कर सकेगा.

अध्याय-तीन
अपील

7. (1) कोई व्यक्ति, जो धारा 5 या 6 के अधीन नियंत्रण प्राधिकारी के आदेश से व्यथित हो, ऐसे आदेश के विरुद्ध, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर, ऐसे प्ररुप तथा ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाये, अपीलीय प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकेगा : **अपील.**

परन्तु 30 दिवस की उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात्, अपील ग्राह्य की जा सकेगी यदि अपीलार्थी, अपीलीय प्राधिकारी को संतुष्ट कर देता है कि उसके पास, उस कालावधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण है.

(2) अपील के निराकरण के पूर्व, अपीलीय प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा.

अध्याय-चार
निजी नियोजन अभिकरण के कृत्य और दायित्व

8. (1) निजी नियोजन अभिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा के परे किसी महिला को ले जाने की तारीख से सात दिवस के भीतर, घरेलू कर्मकार के नियोजन की विस्तृत जानकारी, नियंत्रण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा. **निजी नियोजन अभिकरण के कृत्य एवं दायित्व.**

(2) निजी नियोजन अभिकरण, किसी घरेलू कर्मकार से कोई भी शुल्क, जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, नहीं लेगा.

(3) निजी नियोजन अभिकरण, किसी महिला को, यदि वह अठारह वर्ष की आयु से कम हो, नियोजित, संबद्ध या अभिनियोजित नहीं करेगा.

(4) प्रत्येक निजी नियोजन अभिकरण, अपने कार्यालय के बाहर, निजी नियोजन अभिकरण का नाम तथा अपना अनुज्ञप्ति क्रमांक दर्शित करने वाली नाम पट्टिका प्रदर्शित करेगा.

(5) प्रत्येक निजी नियोजन अभिकरण, ऐसे घरेलू कर्मकार, जो उसके द्वारा संलग्न हों, के नाम एवं पते तथा ऐसे व्यक्तियों के भी नाम एवं पते, जहां महिला कर्मकार को नियोजित किया गया है, को अंतर्विष्ट करते हुए एक पंजी संधारित करेगा.

(6) निजी नियोजन अभिकरण के अन्य कृत्य एवं दायित्व ऐसे होंगे, जैसा कि विहित किया जाये.

अध्याय-पांच
अपराध एवं शास्तियां

9. (1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा. **कतिपय प्रावधानों का उल्लंघन करने हेतु दण्ड.**

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम की धारा 8 या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के प्रावधानों या अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा.

अध्याय-छः
प्रकीर्ण

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) का लागू होना.

10. किसी तलाशी या जप्ती के संबंध में, जहां तक हो सके, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) के प्रावधान, इस अधिनियम के अधीन किसी तलाशी या जप्ती को लागू होंगे.

किसी अन्य विधि के अतिरिक्त इस अधिनियम का होना.

11. यह अधिनियम तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होगा और उनका अल्पीकरण नहीं करेगा.

नियम बनाने की शक्ति.

12. (1) राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बना सकेगा.

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या इनमें से किन्हीं विषयों के लिये उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन जारी किये जाने वाले अनुज्ञप्ति का प्ररुप एवं रीति;

(ख) धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन जांच का संपादित किया जाना;

(ग) निर्बंधन एवं शर्तें, जिसके अध्यधीन ऐसी अनुज्ञप्ति धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन जारी की जायेगी;

(घ) धारा 5 की उप-धारा (4) के अधीन नवीनीकरण का शुल्क एवं शर्तें;

(ङ) धारा 6 के अधीन अनुज्ञप्ति का निरस्तीकरण तथा निलंबन;

(च) धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन अपील का प्ररुप एवं रीति;

(छ) धारा 8 की उप-धारा (6) के अधीन निजी नियोजन अभिकरण के अन्य कृत्य एवं दायित्व;

(ज) कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम के अधीन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हो.

(3) इस अधिनियम के अधीन निर्मित प्रत्येक नियम, इसके निर्मित किये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के पटल पर, जब सत्र कुल 30 दिवस की अवधि के लिए हो, जो एक ही सत्र में या दो उत्तरवर्ती सत्र में पूरी हो सकती हो तथा सत्र जिसके पटल पर रखा जाना हो या ठीक आगामी सत्र के अवसान के पूर्व, रखा जायेगा, यदि सदन नियम में कोई उपांतरण करने हेतु सहमत होता है अथवा सदन सहमत होता है कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिये तथा ऐसा विनिश्चय राजपत्र में अधिसूचित करता है तो ऐसा नियम, ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं रखेगा, तथापि, ऐसा उपांतरण या विलोपन, उस नियम के अधीन पूर्व में किए गये किसी कार्य की विधिमान्यता या किये गये विलोपन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा.

13. इस अधिनियम के अधीन नियंत्रण प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध सद्भावनापूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी कार्यवाही के लिए, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण.

14. इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध, संज्ञेय और अजमानतीय होंगे.

अपराधों का संज्ञान.

15. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती हो तो राज्य शासन, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसा नियम, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, बना सकेगा, जो कि कठिनाईयों के निराकरण के लिए आवश्यक हो:

कठिनाईयों के निराकरण की शक्तियां.

परंतु ऐसा आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात्, नहीं किया जाएगा.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2013

क्रमांक 6562/डी. 233/21-अ/प्रारू./छ.ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ निजी नियोजन अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 23 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 23 of 2013)

THE CHHATTISGARH PRIVATE PLACEMENT AGENCIES (REGULATION) ACT, 2013

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER-I
PRELIMINARY

CHAPTER-II
CONTROLLING AUTHORITY AND LICENCE

3. Appointment of Controlling Authority.
4. Persons or Private Placement Agency not to operate without Licence.
5. Application for grant and renewal of Licence.
6. Cancellation and suspension of Licence.

CHAPTER-III
APPEAL

7. Appeals.

CHAPTER-IV
FUNCTIONS AND DUTIES OF PRIVATE PLACEMENT AGENCIES

8. Functions and Duties of Private Placement Agencies.

CHAPTER-V
OFFENCES AND PUNISHMENT

9. Punishment for contravention of certain provisions.

CHAPTER-VI
MISCELLANEOUS

10. Application of Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974)
11. Act in addition to any other law.
12. Power to make rules.
13. Indemnity.
14. Cognizance of Offences.
15. Power to remove difficulties.

CHHATTISGARH ACT
(No. 23 of 2013)

THE CHHATTISGARH PRIVATE PLACEMENT AGENCIES (REGULATION) ACT, 2013

An Act to provide for the regulation of Private Placement Agencies and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows :—

CHAPTER-I
PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Placement Agencies (Regulation) Act, 2013.

(2) It extends to the whole of the State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette appoint.

Definitions.

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Appellate Authority" means an officer or Authority authorized by the State Government to hear appeal under Chapter-III of this Act;

(b) "Controlling Authority" means the Controlling Authority appointed under Section 3;

(c) "Domestic Worker" means a person engaged, through Private Placement Agency, to do domestic work;

(d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(e) "Licence" means a licence granted under Section 5;

(f) "Notification" means a notification published in the Official Gazette;

(g) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(h) "Private Placement Agency" means a person or body of persons other than a Government Agency, Department or Organization engaged in the business of providing work to any woman as domestic worker beyond the boundaries of Chhattisgarh;

(i) "Woman" means a woman as defined under Section 10 of Indian Penal Code, 1860 (No. 45 of 1860).

(2) Words and expressions not defined in this Act shall have the same meaning as defined under any other corresponding law for the time being in force.

CHAPTER-II
CONTROLLING AUTHORITY AND LICENCE

Appointment of Controlling Authority.

3. The State Government shall, by notification in the Official Gazette,—

(a) Appoint any person not below the rank of Sub-Divisional Magistrate, to be

Controlling Authority for the purposes of this Act, and

(b) define the limits within which a Controlling Authority shall exercise the powers conferred on him, by or under this Act.

Persons or Private Placement Agency not to operate without licence.

4. No person or Private Placement Agency shall carry on or commence the business of Private Placement Agency, unless he holds a Licence issued under this Act :

Provided that a Private Placement Agency which came into existence before the notification of this Act, shall obtain Licence within Ninety days of the notification of this Act

Application for Grant and renewal of Licence.

5. (1) Every application for grant of Licence under Section 4 shall be in such form and manner as may be prescribed and shall be accompanied by fee of Rupees five thousnad and Bank Guarantee of Rupees One lakh.

(2) Controlling Authority may make such investigation in respect of the application received under sub-section (1) and in making such investigation the Controlling Authority shall follow such procedure as may be prescribed.

(3) A Licence shall be issued on such terms and on such conditions as may be prescribed.

(4) A Licence issued under this Section shall remain valid for a period of five years and may be renewed from time to time on payment of such fees and on such condition as may be prescribed.

Cancellation and suspension of Licence.

6. (1) If the Controlling Authority is satisfied either on the reference made to him in this behalf or otherwise, that-

(a) a Licence issued under Section 4 has been obtained by misrepresentation or suppression of material fact, or

(b) that the Licence holder has, without reasonable cause failed to comply with the conditions or contravened any of the provisions of this Act or rules made thereunder.

then, without prejudice to any other penalty which the holder of the Licence is liable under this Act, the Controlling Authority may, after giving the holder of the Licence an apportunity to be heard by an order in writing revoke the Licence or forfeit the bank guarantee furnished under sub-section (1) of Section 5 by him or any part thereof and communicate the order to the holder of the licence :

Provided that where the Controlling Authority considers it necessary so to do for special reasons, he may, pending such revocation of forfiture, by order, suspend the Licence for such period as may be specified in the order and serve, by registered post, such order on the holder of the Licence.

(2) Subject to any rules, that may be made in this behalf, the Controlling Authority may vary or amend a Licence issued under this Act.

CHAPTER-III
APPEAL

Appeals.

7. (1) Any person aggrieved by an order, of the Controlling Authority, made under Section 5 or 6, may prefer an appeal, in such form and manner as may be

prescribed, against the order to the Appellate Authority within a period of thirty days of the date of receipt of such order :

Provided that an appeal may be admited after the expiry of the said period of thirty days if the appellant satisfies the Appellate Authority that he has sufficient cause for not preferring the appeal within that period.

(2) Before disposing of an appeal, the Appellate Authority shall give the appellant a reasonable opportunity of being heard.

CHAPTER-IV
FUNCTIONS AND DUTIES OF PRIVATE PLACEMENT AGENCIES

Functions and Duties of Private Placement Agencies.

8. (1) The Private Placement Agency shall furnish the details of employment of Domestic Worker to the Controlling Authority within seven days from the date the woman was conveyed beyond the boundaries of State of Chhattisgarh.

(2) No Private Placement Agency shall charge any fee by whatever name called from any domestic worker.

(3) No Private Placement Agency shall employ, engage or deploy any woman, if she is below eighteen years of age.

(4) Every Private Placement Agency shall display a signboard outside its office showing the name of Private Placement Agency and its Licence number.

(5) Every Private Placement Agency shall maintain a register containing the names and addresses of domestic workers, who are engaged by it and also names and addresses of persons, where the women workers have been employed.

(6) Other functions and duties of Private Placement Agencies shall be such, as may be prescribed.

CHAPTER-V
OFFENCES AND PUNISHMENT

Punishment for contravention of certain provisions.

9. (1) Any person who contravenes the provisions of Section 4 of this Act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years, or with fine which may extend to one lakh, or with both.

(2) Any person who contravenes the provisions of Section 8 or any of the rules made under this Act or any of the conditions of Licence, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to fifty thousand, or with both.

CHAPTER-VI
MISCELLANEOUS

Application of Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974).

10. The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) relating to any search or seizure shall be, so far as may be, applicable to any search or seizure made under this Act.

Act in addition to any other law.

11. This Act shall be in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force.

Power to make rules. 12. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) the form and manner in which the Licence is to be issued under sub section (1) of Section 5;

(b) the investigation to be conducted under sub section (2) of Section 5;

(c) terms and conditions subject to which such Licence is to be issued under sub section (3) of Section 5;

(d) fees and conditions of renewal under sub section (4) of Section 5;

(e) cancellation and suspension of Licence under Section 6;

(f) the form and manner of appeal under sub section (1) of Section 7;

(g) other functions and duties of Private Placement Agencies under sub section (6) of Section 8; and

(h) any other matter which may be necessary to achieve the objects of this Act.

(3) Every rule made under this Act shall be laid as soon as may be after it is made before the House of the State Legislature while it is in session for a, total period of thirty days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the House agrees in making any modification in the rule or the House agrees that the rules should not be made, and notify such decision in the Official Gazette, the rule shall from the date of publication of such notification have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted to be done under that rule.

Indemnity. 13. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against Controlling Authority or any other person in respect of anything done or intended to be done in good faith, under this Act.

Cognizance of Offences. 14. All the offences under his Act shall be cognizable and non-bailable.

Power to remove difficulties. 15. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provision of this Act, as may be necessary for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.